

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाइट:-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ 55()Engg./CE/DLB/COVID-19/Oxygen plant/2021/ 99633-68 | दिनांक :- 17/05/2021

आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी,

परिषद/पालिका,

किशनगढ, ब्यावर, बालोतरा, बांसवाडा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, कोटपूतली, दौसा, झुंजरपुर, टोंक, सुजानगढ, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, नागौर, मकराना, पाली, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, गंगापुरसिटी, सीकर, सिरौही, झालावाड-झालरापाटन, निम्बाहेडा, रतनगढ, सरदारशहर, सुजानगढ, नवलगढ, मेडतासिटी, देवली, फतेहपुर, आबूरोड, सुमेरपुर, पिपाडसिटी, कुचामनसिटी, सोजत, नाथद्वारा, भीनमाल, निवाई, केकडी, फलौदी, शाहपुरा (जयपुर), रिंग्स, पिलानी, बामनवास।

विषय:- PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के संबंध में

प्रसंग:- कार्यादेश क्रमांक F.55(PA/CE/DLB/Covid-19/Oxygen plant/2021/ 99067 दिनांक 13.05.2021 एवं 99302 दिनांक 13.05.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 प्राणघातक महामारी की आपात स्थितियों में माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों के सहयोग से PSA ऑक्सीजन जनरेसन प्लांट स्थापना के दिये गये निर्देशों के तहत सम्बन्धित नगरीय निकायों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। उच्च स्तरीय कमेटी की अभिशंषा पर केन्द्रीकृत भुगतान निदेशालय से किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर पर लिया गया है। इस सन्दर्भ में ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता एवं संख्या अनुसार स्वीकृत दरों अनुसार राशि की व्यवस्था सम्बन्धित निकायों द्वारा की जानी है।

अतः प्रासंगिक कार्यादेशों अनुसार नगरीय निकाय द्वारा निजी आय/जन सहयोग/MP/MLA फण्ड/15वें वित्त आयोग मद से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की लागत की राशि निदेशालय के बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 14630100012204 आई.एफ.सी कोड BARBOJAICOM में शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:-एफ 55()Engg./CE/DLB/COVID-19/Oxygen plant/2021/ 99682-692 दिनांक :- 17/05/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, आईटी सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
5. सुरक्षित पत्रावली।


(महेंद्र मोहन)

वित्तीय सलाहकार